International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 3 Issue 1 || January 2014 || PP 92-96

भारतीय संविधान एवं भारतीय महिलाएं

मेजर राज कमल दीक्षित
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, सेठ फूलचंद बागला कॉलेज, हाथरस।

आजादी से पूर्व भारतीय समाज में विभिन्न स्तरों पर असमानता व्याप्त थी। इस असमानता को दूर करने के लिए संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान किए गए जिससे इस असमानता को कम किया जा सके या समाप्त किया जा सके। इसी के दृष्टिगत महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रावधानों का निर्माण किया गया।

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, उनके मनोबल को ऊँचा करना, उनमें आत्म विश्वास को उत्पन्न करना, उन्हें इस योग्य बनाना जिससे वे अपने जीवन से सम्बन्धित निर्णय स्वयं ले सके। महिलाएं समाज में सम्मान के साथ सर उठाकर जी सकें, इसके लिए संविधान में अनेक व्यवस्थाएं की गईं तथा बदलते हुए परिदृश्य में महिलाओं को जिन नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसके दृष्टिगत उनके लिए नवीन कानूनों का निर्माण किया गया जिससे उन्हें कानूनी और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।

यहाँ पर मैं प्रमुख रूप से उन प्रावधानों का उल्लेख करना चाहूँगी, जो संविधान में वर्णित हैं तथा जिन्होंने महिलाओं को पारिवारिक, आर्थिक और समाजिक अधिकार प्रदान किए हैं। जो निम्नांकित हैं :–

1. संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनी रूप से समानता प्रदान की गई है।

2. अनुच्छेद 15 (3) में जाति, धर्म, लिंग एवं जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव को अनुचित ठहराया है।

3. अनुच्छेद 16 (1) में लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता प्रदान की गई है।

4. अनुच्छेद 19 (1) में समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है।

5. अनुच्छेद 21 में स्त्री एवं पुरूष दोनों को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करने का प्रावधान किया गया है।

6. अनुच्छेद 23–24 में शोषण के विरूद्ध समान रूप से अधिकार प्राप्त है।

7. अनुच्छेद 25–28 में धार्मिक स्वतत्रंता दोनों को समान रूप से प्रदत्त की गई है।

8. अनुच्छेद 29–30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दिया गया है।

9. अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है।

10.अनुच्छेद 39 (घ) में पुरूषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है।

11.अनुच्छेद 40 में पंचायती राज संस्थाओं में 73वें एवं 74वें संविधान संशोंधन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

12.अनुच्छेद 41 में बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अनर्ह अभाव की दशाओं में सहायता पाने का अधिकार है।

13.अनुच्छेद 42 में महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था है।

14.अनुच्छेद 47 में पोषाहार, जीवन स्तर एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व है।

15.अनुच्छेद 51(क) (ङ) में भारत के सभी लोग ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हों।

16.अनुच्छेद 33 (क) में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए लोक सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना। यह अभी विलम्बित है।

17.अनुच्छेद 332 (क) में प्रस्तावित 84वें संशोधन के जरिए राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना। यह अभी विलम्बित है।

भारतीय दण्ड संहिता कानून महिलाओं को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है जिससे समाज में घटित होने वाले विभिन्न अपराधों से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसके प्रावधान निम्नाकिंत हैं:–

1. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थान पर बुरी बुरी गालियां देना एवं अश्लील गानें आदि गाना जो कि सुनने पर बुरे लगे।

2. धारा 304 बी के अन्तर्गत किसी महिला की उसका विवाह होने की तिथि से सात वर्ष की अवधि के अन्दर उसके पति या उसके पति के संबन्धियों द्वारा दहेज सम्बन्धी मांग के कारण क्रूरता या प्रताड़ना के फलस्वरूप समान परिस्थितियों के अतिरिक्त उसकी मृत्यु हुई हो।

3. धारा 306 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य (दुष्प्रेरण) के फलस्वरूप की गई आत्म हत्या।

4. धारा 313 के अन्तर्गत महिला की इच्छा के विरूद्ध गर्भपात करवाना।

5. धारा 314 के अन्तर्गत गर्भपात करने के उद्देश्य से किए गए कृत्य द्वारा महिला की मृत्यु हो जाना।

6. धारा 315 के अन्तर्गत शिशु जन्म को रोकना या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु के उद्देश्य से किया गया ऐसा कार्य जिससे मृत्यु संभव हो।

7. धारा 316 सजीव नवजात बच्चे को मारना।

8. धारा 318 के अन्तर्गत किसी नवजात शिशु के जन्म को छुपाने उद्देश्य से उसके मृत शरीर को गाड़ना या किसी अन्य प्रकार से निराकरण करना।

9. धारा 354 के अन्तर्गत महिला की लज्जा शीलता भंग करने के लिए उसके साथ बल का प्रयोग करना।

10.धारा 363 के अन्तर्गत विधिपूर्ण संरक्षण से महिला का अपहरण करना।

11.धारा 364 के अन्तर्गत हत्या के उद्देश्य से महिला का अपहरण करना।

12.धारा 366 के अन्तर्गत किसी महिला को विवाह करने के लिए विवश करना।

13.धारा 371 के अन्तर्गत किसी महिला के साथ दास के समान व्यवहार करना।

14.धारा 372 के अन्तर्गत वेश्यावृत्ति के लिए 18 वर्ष से कम आयु की बालिका को बेचना या भाड़े पर देना।

15.धारा 373 के अन्तर्गत वेश्यावृत्ति के लिए 18 वर्ष से कम आयु की बालिका को खरीदना।

16.सेक्सुअल हैरेसमेन्ट से प्रोटेक्शन– एन्टीरेप लॉ का निर्माण किया गया, इसमें रेप की परिभाषा में बदलाव किया गया। इसके तहत जो कानूनी प्रावधान किए गए हैं उसमें रेप की परिभाषा में बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव दिल्ली के निर्भयाकांड के पश्चात् अस्तित्व में आए। आइ पी सी की धारा 375 के तहत दुष्कर्म के दायरे में प्राइवेट पार्ट या फिर ओरल सेक्स दोनों को ही दुष्कर्म माना गया है। साथ ही प्राइवेट पार्ट के पेनिट्रेशन के अलावा किसी चीज के पेनिट्रेशन को भी इस दायरे में रखा गया है अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के प्राइवेट पार्ट या फिर अन्य तरीके से पेनिट्रेशन करता है तो वह दुष्कर्म होगा।

यदि पीड़ित की मृत्यु हो जाए या वह कोमा में चली जाए तो फांसी की सजा का प्रावधान किया गया दुष्कर्म के मामले में कम से कम सात साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है।

17.धारा 376 के अन्तर्गत किसी महिला से कोई अन्य पुरूष उसकी इच्छा एवं सहमति के बिना या भयभीत कर सहमति प्राप्त कर अथवा उसका पति बनकर या उसकी मानसिक स्थिति का लाभ उठाकर या 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ उसकी सहमति से दैहिक सम्बन्ध करना या 15 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ पति द्वारा दैहिक सम्बन्ध स्थापित करना। कोई पुलिस अधिकारी, सिविल अधिकारी, प्रबन्धन अधिकारी, अस्पताल के स्टाफ का कोई व्यक्ति, गर्भवती महिला, 12 वर्ष से कम आयु की लड़की को उनके अभिरक्षा में हो अकेले या सामूहिक रूप से दुष्कर्म करता है तो इसे विशिष्ट श्रेणी का अपराध मानकर विधान में इस धारा के अन्तर्गत कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है।

उपयुक्त प्रकरणों का विचरण न्यायालय द्वारा बन्द कमरे में धारा 372 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत किया जायेगा।

बदलते समय में महिलाओं को और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए और कानूनों का निर्माण किया गया जो कि निम्नांकित हैं :–

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973– महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है। अतः महिलाओं को गवाही के लिए थाने बुलाना, अपराध घटित होने पर उन्हें गिरफ्तार करना, महिला की तलाशी लेना और उसके घर की तलाशी लेना आदि पुलिस प्रक्रियाओं को इस संहिता में वर्णित किया गया है इन्हीं वर्णित प्राविधानों के तहत न्यायालय महिलाओं से संबन्धित अपराधों का विचारण करता है।

2. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 – सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा मामले के तहत गाइड लाइन्स तय की थी यह सरकारी व प्राइवेट कार्यलायों में लागू है। वर्किंग प्लेस पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। एम्पलायर की यह जिम्मेदारी है कि वह गुनहगार के खिलाफ कार्यवाही करे। केन्द्र सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। जिसके तहत यौन शोषण की शिकायत दर्ज होने पर महिलाओं को जाँच लम्बित रहने पर 90 दिन की पेड लीव दी जाएगी।

3. कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार– गर्भावस्था में ही मादा भ्रूण को नष्ट करने के उद्देश्य से लिंग परीक्षण रोकने हेतु ''प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम'' 1994 निर्मित कर क्रियान्वित किया गया। इसके तहत गर्भाधान और प्रसव से पूर्व

लिंग की पहचान करने वाले परीक्षण पर रोक लगाई गई और इसे गैर कानूनी घोषित किया गया। इस नियम का उल्लंघन करने वाले को 10 से 15 हजार रूपए का जुर्माना तथा 3 से 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया।

4. नाम सार्वजनिक करने या छुपाने का अधिकार– यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को अपने नाम की गोपनीयता बनाए रखने का पूरा अधिकार है, ऐसे मामलों में कोई महिला किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में या फिर जिलाधिकारी के सामने मामला दर्ज करा सकती है। दुष्कर्म से संबन्धित मामले में सरकार ने नए कानून जारी किए हैं :–

(1) ऐसे मामलों की सुनवाई महिला जज ही करेंगी।

(2) पीड़िता का बयान महिला पुलिस अधिकारी दर्ज करेंगी।

(3) पीड़िता के बयान परिजनों की मौजूदगी में दर्ज होंगे।

(4) सुनवाई दो महीनों में पूरी करने के प्रयास होंगे।

5. रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार– आपराधिक प्रक्रिया संहिता सेक्शन 46 के तहत एक महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। किसी विशेष मामले में एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही यह सम्भव है। बिना वारन्ट के गिरफ्तार महिला को तुरन्त गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी होता है। उसे जमानत से जुड़े अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए। गिरफ्तार महिला के नजदीकी रिश्तेदारों को तुरंत सूचित करना पुलिस की जिम्मेदारी है।

6. मेटरनिटी लीव– अनुच्छेद (42)– 1961 में इसके लिए कानून का निर्माण किया गया। इसके तहत महिला अगर सरकारी नौकरी में है या फिर किसी फैक्ट्री में या किसी अन्य प्राइवेट संस्था में जिसकी स्थापना इम्पलॉइज स्टेट इन्श्योरेन्स एक्ट 1948 के तहत हुई हो में काम करती हो तो उसे लाभ मिलेगा पहले यह अवकाश 90 दिन का था अब इसे बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। नौकरी के दौरान बच्चों के पालन पोषण, बीमारी, परीक्षा आदि के लिए दो वर्ष (730) दिन की चाइल्ड केयर लीव ले सकेंगी। यह लीव बच्चे के 18 वर्ष के होने तक कभी भी ली जा सकती है और सिर्फ दो बच्चों के लिए ही मान्य है।

7. समान वेतन अधिकार 1976– इसके अन्तर्गत महिलाओं को भी पुरूषों के समान ही कार्य करने के लिए समान पारिश्रमिक दिया जाएगा लिंग के आधार पर वेतन देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

8. ठेका श्रम अधिनियम 1970– के अन्तर्गत या प्रावधान किया गया है कि महिलाओं से एक दिन में मात्र 9 घन्टे ही कार्य लिया जाए।

9. पिता की सम्पत्ति पर अधिकार– महिलओं का पिता की और पिता की पैतृक सम्पत्ति पर पूरा अधिकार है अगर पिता ने खुद बनायी सम्पत्ति के मामले में कोई वसीयत नहीं की है तो उनके बाद प्रापर्टी में महिला को भी उतना हिस्सा मिलेगा जितना उसके भाई और माँ को बेटी के विवाह के पश्चात भी यह अधिकार कायम रहेगा।

10. पति की सम्पत्ति पर अधिकार– विवाह के पश्चात पति की सम्पत्ति पर महिला का मालिकाना हक नहीं होता लेकिन पति की आर्थिक स्थिति के हिसाब से महिला को गुजारा भत्ता दिया जाता है। महिला को यह अधिकार है कि उसका भरण पोषण उसके पति के द्वारा किया जाए और पति की जो हैसियत है उस हिसाब से भरण पोषण होना चाहिए। वैवाहिक विवादों से सम्बन्धित मामलों में कई कानूनी प्रावधान हैं जिनके जरिए पत्नी गुजारा भत्ता मांग सकती है। सी0आर0पी0सी0, हिन्दू मैरिज एक्ट, हिन्दू एडॉप्शन एण्ड मेन्टिनेन्श एक्ट और घरेलू हिंसा कानून के तहत गुजारे भत्ते की मांग की जा सकती है। अगर पति ने कोई वसीयत बनायी है तो उसके मरने के बाद उसकी पत्नी को वसीयत के मुताबिक संपत्ति में हिस्सा मिलता है लेकिन पति अपनी खुद की अर्जित संपत्ति की ही वसीयत कर सकता है पैतृक संपत्ति को अपनी पत्नी के पक्ष में वसीयत नहीं कर सकता। अगर पति ने कोई वसीयत नहीं बनायी है और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी खुद की अर्जित संपत्ति में हिस्सा मिलता है। लेकिन पैतृक संपत्ति में वह दावा नहीं कर सकती।

11. गुजारा भत्ता पाने का अधिकार– सी0आर0पी0सी0 की धारा 125 की तहत पति से अनबन के दौरान गुजारे भत्ते की मांग की जा सकती है। यदि तलाक का केस चल रहा हो तो हिन्दू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत गुजारा भत्ता पत्नी मांग सकती है। तलाक के समय जो मुआवजा राशि तय हो वह पति की सैलरी और उसकी अर्जित संपत्ति के आधार पर तय होती है।

12. दहेज निरोधक अधिनियम 1961– दहेज महिला का स्त्री धन है यदि ससुराल पक्ष के लोग दहेज का सामान दुर्भावना वश अपने कब्जे में रखते है तो धारा 405–406 भा0द0 वि0 का अपराध होगा विवाह के पूर्व या बाद में दबाव या धमकी देकर दहेज प्राप्त करने का प्रयास धारा 3/4 दहेज निरोधक अधिनियम के अतिरिक्त धारा 506 भा0द0 वि0 का भी

अपराध होगा। यदि धमकी लिखित में दी गयी हो तो धारा 507 भा0द0 वि0 का अपराध बनता है। दहेज लेना तथा देना दोनों ही

संज्ञेय अपराध है। 1986 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया तथा आई0पी0सी0 की धारा 498–ए का प्रावधान किया गया और इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी रखा गया। यह गैर जमानती अपराध है ससुराल में स्त्री को प्रताड़ित करने वाले सभी लोगों को इसके तहत आरोपी बनाया जा सकता है। अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है यदि महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में शादी के 7 साल के अन्दर हो तो आई0पी0सी0 की धारा 304 बी के तहत केस दर्ज होता है।

13. घरेलू हिंसा अधिनियम 2005– इस कानून के तहत अदालत महिला के पक्ष में अधिकार देती है और प्रतिवादी और उस आदेश का पालन नहीं करता है तो इस एक्ट की धारा 31 के तहत उस पर केस बनता है और दोषी पाए जाने पर एक साल की कैद की सजा का प्रावधान है साथ ही 20 हजार रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान है यह केस गैर जमानती और कॉग्नेजिबल होता है।

लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी इसके प्रावधानों के तहत मुआवजा मिल सकता है अगर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है तो वह शिकायत कर सकती है। उसे राइट–टू–शेल्टर भी मिलता है अर्थात् जब तक यह रिलेशनशिप कायम है तब तक उसे जबरन उसे घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। लेकिन सम्बन्ध खत्म होने के बाद यह अधिकार समाप्त हो जाता है उन्हें मुवावजा पाने का भी अधिकार होता है।

14. मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार– महिलाओं को सरकार से मुफ्त में कानूनी सहायता पाने का अधिकार है भले ही उनकी आर्थिक स्थिति उच्च हो या निम्न।

उपर्युक्त कानूनों एवं संविधान प्रदत्त अधिकारों के द्वारा महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं परन्तु क्या वास्तव में इन अधिकारों को हम महिलाओं को प्रदान कर पाएं हैं क्या आज दहेज के लिए किसी महिला को जलाकर मारा नहीं जाता या महिला घरेलू हिंसा का शिकार नहीं होती क्या महिलाओं को अपने पिता की सम्पत्ति में भाई के समान ही अधिकार प्राप्त होता है, क्या अब दुष्कर्म होना बन्द हो गए इन सबका जवाब सिर्फ एक है– ''नहीं''। क्योंकि हमारा समाज आज भी महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करता है सिद्धान्त में तो हमने उन्हें बहुत सारे अधिकार प्रदान कर रखे हैं पर व्यवहारिकता यह है कि पुरूष उन्हें अपने से निचले स्तर का मानते हैं। वह यह मानकर चलते हैं कि महिलाएं संवेदनशील होती हैं उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है तथा बुद्धि का स्तर भी निम्न होता है। इसलिए साधारण पारिवारिक मामलों से लेकर किसी विशेष विषय पर उन्हें निर्णय लेने की स्वीकृति नहीं दी जाती।

भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था हमेशा से ही महिलाओं को एक निरीह प्राणी समझती रही है। इस लिए विभिन्न अधिकारों के होने के पश्चात भी महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा महिलाओं से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर स्वतः संज्ञान भी लिया जाता है और उन्हें उनके अधिकार दिलाने का प्रयास भी किया जाता है उदाहरण स्वरूप दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 की धारा 498 ए के अन्तर्गत इसे गैर जमानती अपराध माना गया। इसके दुरूपयोग के सन्दर्भ में अनेक शिकायतें आईं बहुत विचार विमर्श के पश्चात् इसे गैर जमानती अपराध ही रहने दिया गया क्योंकि अगर इसे जमानती अपराध घोषित कर दिया जाता तो वह महिलाएं जो वास्तव में दहेज उत्पीड़न का शिकार होती हैं उन्हें पूर्णतया न्याय नहीं मिल पाता। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही महिलाओं को पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्रदान किया गया पर वास्तविकता में 1 प्रतिशत महिलाओं को ही मुश्किल से यह अधिकार प्राप्त हो पाता है। महिलाएं स्वयं इस अधिकार की मांग नहीं करती क्योंकि वह जानती हैं कि अगर उन्होंने इस अधिकार की मांग की तो उन्हें जीवन पर्यन्त अपने मायके से वंचित होना पड़ेगा। वास्तविकता यह है कि महिलाओं को तभी यह सारे अधिकार प्रदान किए जा सकेगें जब स्त्री और पुरूष को एक दूसरे का पूरक माना जायेगा और समाज उनकी स्थिति के प्रति पूर्णतया जागरूक होगा। जागरूकता के अभाव में महिलाओं को किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हो पाते हैं। यह समाज और परिवार दोनों का नैतिक दायित्व है कि वह महिलाओं को समानता की स्थिति प्रदान करे और उन्हें व्यवहारिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास करे तभी हम संविधान तथा कानून में वर्णित अधिकारों का सही रूप से उपयोग कर सकेंगे अभी भारतीय समाज को इसके लिए अथक प्रयास करने होंगे। सिर्फ महिला दिवस और महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाने से हम उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थिति प्रदान नहीं कर सकेंगे इसके लिए समाज को जन जन में जागरूकता उत्पन्न करनी होगी तथा सबसे पहले यह जागरूकता महिलाओं में ही उत्पन्न करनी होगी ताकि वह अपने अधिकारों का हनन न होने दें और समाज में एक सम्मानजनक जीवन जी सकें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1. भारत का संविधान– जय नारायण पाण्डेय
2. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–प्रमोद कुमार बरार, पुस्तक सदन प्रकाशन
3. हिन्दू लॉ एकता लॉ एजेन्सी।
4. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 यूनिवर्सल लॉ पब्लिशर्स

5. दहेज प्रतिशेध अधिनियम 1961– आलोक सक्सेना, पुस्तक सदन प्रकाशन

6. कार्य स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोश अधिनियम 2013) पुस्तक सदन प्रकाशन

7. समाज कार्य–तेजस्कर पाण्डेय, ओजस्कर पाण्डेय

8. भारतीय दण्ड संहिता– सूर्य नारायण मिश्रा